एसोचैम उ.प्र./2011-12/एफ-46/ 10 सितम्बर, 2011

आयुक्त,
वाणिज्य कर, उ0 प्र0,
वाणिज्य कर भवन,
विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ।

विषय - कुछ संवेदनशील वस्तुओं के लिए फार्म -38 डाउनलोड करने की सुविधा समाप्त करना

प्रिय महोदय,

वाणिज्य कर विभाग ने वैट कानून एवं कम्प्यूटराइजेशन/ आटोमेशन को ध्यान में रखते हुये 2010 के प्रारम्भ से फार्म -38 को कम्प्यूटर से डाउनलोड करने की सीधी सुविधा प्रदान की थी। यह सुविधा आपके आदेश संख्या 103/1112050 दिनांक 23 अगस्त 2011 के अन्तर्गत संवेदनशील वस्तुओं से वापिस ले ली गई है। कोयला, आयरन एंड स्टील, वनस्पति घी, रिफाइन्ड ऑयल, सुपाड़ी तथा पटिया पत्थर आदि को इसी आदेश के अन्तर्गत संवेदनशील घोषित किया गया है।

वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश ने अपने वैट कानून और नियमों को विकसित करने में - आज की स्थिति तक पहुँचाने में एक अच्छा प्रयास किया गया है। अधिकतम कम्प्यूटराइजेशन तथा आटोमेशन इसी का एक आवश्यक हिस्सा रहा है। सभी श्रेणियों के डीलरों को आटोमेशन से धीरे-धीरे adept कराते हुये इसको लागू किया जाता रहा है। फार्म -38 या फार्म 21 को सीधे डाउनलोड करना और ई-फाइलिंग का प्राविधान इसी कड़ी में लागू किये गये हैं। **आपका 23 अगस्त 2011 का आदेश, जिसके अन्तर्गत फार्म 38 डाउनलोड करने की सुविधा कुछ संवेदनशील वस्तुओं से वापिस ले ली गई है, इस प्रक्रिया में बहुत बड़ा अवरोधक जैसा प्रतीत होता है।**

यह सम्भव है कि कुछ संवेदनशील वस्तुओं के डीलर्स इस सुविधा को अनुचित रूप से प्रयोग करते हों लेकिन निश्चित रूप से इसका निदान इसका वापिस लिया जाना नहीं हो सकता। आज के युग में जब हम पूर्ण ऑन लाइन बिजनेस की बात करते है, डायरेक्ट डाउनलोडिंग की सुविधा को वापिस लिया जाना शायद विकास की गति को Back track करना जैसा हो जायेगा।

फार्म -38 के अवैधानिक प्रिटिंग कराये जाने के विषय में आपके विभाग ने बहुत समुचित तथा विस्तृत आदेश / निर्देश, विभागीय अधिकारियों को अपने 8 अगस्त 2011 के परिपत्र के अन्तर्गत जारी किये हैं। यह अवैधानिक प्रिटिंग दोनो में हो सकती है - चाहे वे फार्म डाउनलोड किये गये हों या विभाग द्वारा जारी किये गये हों। हम आपके विभागीय अधिकारियों को दिये गये इन निर्देशों का पूर्णतः स्वागत करते है।

फार्म -38 का दुरूपयोग अन्य प्रकार से भी हो सकता है जो प्रायः दोनो ही विधियों से जारी किये गये परिपत्रों पर लागू होगा। हो सकता है कुछ दुरूपयोग डायरेक्ट डाउनलोडिंग से सम्बन्धित हों। अगर ऐसा है भी तो उसका नियंत्रण physical or computerisation system द्वारा किया जाना चाहिए। कुछ सदस्यों द्वारा यह हमारे संज्ञान में लाया गया है कि विभाग, जिन संवेदनशील घोषित की गई वस्तुओं पर फार्म -38 डाउनलोड किये जाने की सुविधा समाप्त कर दी गई है के लिये, स्वयं कम्प्यूटर से डाउनलोड किये गये फार्म जारी कर रहा है जो आवश्यकतानुसार मांगी गई संख्या से बहुत कम है। इससे प्रदेश के व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

हमारा चैम्बर उत्तर प्रदेश सरकार और उद्यमियों के बीच में एक catalyst की भांति कार्य करता रहा है। हमें आशंका है कि कहीं यह डायरेक्ट डाउनलोडिंग की सुविधा का वापिस लिया जाना प्रदेश में औद्योगिक प्रगति के बारे में गलत संदेश न दे।

हमारा आपको सुझाव है कि कृपया इस बिंदु पर पुर्नविचार करने की कृपा करें और संवेदनशील घोषित की गई वस्तुओं पर फार्म -38 डाउनलोड किये जाने की सुविधा को पुनः प्रदान करने पर विचार करें।

सादर,

भवदीय

(एस0 बी0 अग्रवाल)
सेक्रेटरी जनरल

प्रतिलिपि -

1. प्रमुख सचिव,
कर एवं निबन्धन,
उत्तर प्रदेश सरकार,
तृतीय तल, बापू भवन
सचिवालय, लखनऊ।

2. Shri Anil Rathi,
Chairman & Managing Director
Shri Rathi Steels Ltd.
24, Sadhana Enclave,
New Delhi – 110017